

# कार्यालय नगर निगम फिरोजाबाद

पत्रांक 1423/सा0प्र0/2018-19

दिनांक 20/8/2018

## प्रेस विज्ञापित

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के (नगरीय) के अन्तर्गत निम्नलिखित वार्डों की सूची के अनुसार नगर निगम फिरोजाबाद के सीमान्तगत नागरिकों के बहुमूल्य प्रयासों से खुले में शौच प्रथा को समाप्त कराते हुए नगर निगम फिरोजाबाद के कुल 70 वार्डों में शौच मुक्त कराते हुए शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाना है। निम्नलिखित वार्डों में शौच मुक्त (ओ0डी0एफ0) से संबंधित यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति/सुझाव है तो वह इस विज्ञापित के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर कार्यालय नगर निगम फिरोजाबाद में कार्य दिवस में लिखित रूप से अपनी आपत्ति/सुझाव दे सकता है।

नोट - अतः इसके अतिरिक्त यदि कोई भी व्यक्ति बाहर/खुले में शौच करते हुए पाया गया तो उस व्यक्ति को आर्थिक/सामाजिक दण्ड दिया जायेगा जिसका यह स्वयं जिम्मेदार होगा। निम्न वार्डों को खुले में शौच से मुक्त (ओ0डी0एफ0) घोषित किया जाता है।

क्र0सं0	वार्ड नं0	वार्ड का नाम	अभियुक्ति
1	1	सैलई	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
2	2	विजय नगर	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
3	3	नगला मिर्जा बड़ा	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
4	4	भीम नगर	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
5	5	सरजीवन नगर	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
6	6	आजाद नगर	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
7	7	करबला	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
8	8	टापाकला	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
9	9	बोधाश्रम	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
10	10	नगला करन सिंह	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
11	11	न्यू रामगढ़	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
12	12	ककरऊ	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
13	13	सरस्वती नगर	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
14	14	डाकबंगला	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
15	15	दखल	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
16	16	हनुमानगढ़	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
17	17	सत्य नगर	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
18	18	बासठ	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
19	19	संत नगर	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
20	20	इन्द्रपुरी	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
21	21	लालपुर	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
22	22	आसफाबाद	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
23	23	पुरानी मण्डी	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
24	24	किशन नगर	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
25	25	ढोलपुरा	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
26	26	तिलक नगर	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
27	27	पैमेश्वर गेट	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
28	28	हिमायुपुर द्वितीय	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
29	29	टापाखुर्द	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
30	30	नीचू वाला बाग	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
31	31	महावीर नगर	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
32	32	हिमायुपुर प्रथम	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
33	33	जैन नगर	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)

34	34	ठारपूठा	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
35	35	नगला भाऊ	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
36	36	नगला पचिया	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
37	37	आर्य नगर	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
38	38	रेहना	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
39	39	जोशियान	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
40	40	नन्दराम चौक	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
41	41	गांधी नगर	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
42	42	रामनगर	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
43	43	नई बस्ती	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
44	44	सुहाग नगर	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
45	45	नगला विशु	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
46	46	मोहल्ला टीला	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
47	47	दुर्गेश नगर	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
48	48	लेवर कॉलोनी	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
49	49	हनुमान गंज	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
50	50	नया रसूलपुर	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
51	51	कटरा सुनारान	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
52	52	दीदामई	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
53	53	बगिया	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
54	54	चिश्ती नगर	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
55	55	ताड़ो वाली बगिया	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
56	56	उर्दू नगर	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
57	57	नगला बरी	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
58	58	हबीबगंज	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
59	59	कश्मीरी गेट	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
60	60	मक्का कॉलोनी	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
61	61	रामगढ़	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
62	62	नगला गूलरिया	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
63	63	छपरिया	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
64	64	मोहल्ला हुसैनी	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
65	65	मसरूरगंज	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
66	66	तीसफुटा	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
67	67	हाजीपुरा	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
68	68	गालिब नगर	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
69	69	राही नगर	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)
70	70	शीतल खां	खुले में शौच मुक्त किया जाता है। (ODF)

जौनल सेनेटरी ऑफीसर  
नगर निगम फिरोजाबाद

नगर स्वास्थ्य अधिकारी  
नगर निगम, फिरोजाबाद

नगर आयुक्त  
नगर निगम फिरोजाबाद

प्रतिलिपि :

01. कार्यालय जिलाधिकारी महोदया के नोटिस बोर्ड में चर्या हेतु।
02. नगर निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चर्या हेतु।
03. सम्पादक हिन्दुस्तान समाचार पत्र को इस आशय से कि अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में कम से कम स्पेस प्रकाशन कर तीन प्रतियों में बिल प्रस्तुत करें।

29-8-17  
1:25 Pm

नगर आयुक्त  
नगर निगम फिरोजाबाद

रा. 21/8/17




# कार्यालय स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम फिरोजाबाद

पत्रांक 1709 / स्वा0वि0 / सा0प्रा0 / 2018-19

दिनांक 15 / 09 / 2018

## आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अन्तर्गत नगर को 'खुले में शौच मुक्त' (ओ0डी0एफ) करने से सम्बन्धित एक विज्ञप्ति दिनांक 28.08.2018 दैनिक अमर भारती में प्रकाशित की गई थी, जिसमें कार्यालय के पत्र सं0-1423 / सा0प्रा0 / 2018-19 दिनांक 28.08.2018 में नगर के समस्त नागरिकों से ओ0डी0एफ सम्बन्धित आपत्ति व सुझाव 15 दिवस के अन्दर मांगे गये थे किन्तु 15 दिवस उपरान्त कोई भी लिखित रूप से कोई भी आपत्ति व सुझाव कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए। अतः नगर निगम द्वारा समस्त वार्डों को पूर्ण रूप से 'खुले में शौच मुक्त' (ओ0डी0एफ) किया जाता है।



जौनल सैनेटरी ऑफीसर  
नगर निगम फिरोजाबाद



नगर आयुक्त  
नगर निगम फिरोजाबाद

संख्या व दिनांक तदैव  
प्रतिलिपि :

01. कार्यालय जिलाधिकारी महोदय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
02. नगर निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
03. सम्पादक दैनिक जागरण, दैनिक अमर भारती को इस आशय से कि अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में कम से कम स्पेस में प्रकाशन कर तीन प्रतियों में बिल प्रस्तुत करें।



नगर आयुक्त  
नगर निगम फिरोजाबाद